न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
268 / 2023	25.07.2023	30.01.2024

उनवान

1. मूलशंकर पिता गणपतलाल जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. रविशंकर पिता इन्द्रमल जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्यामलाल जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता कल्याण जी विश्नोई उम्र वयस्क निवासी विश्नोईयों के पंचायती नोहरे के पास, पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश पिता कल्याण जी विश्नोई उम्र वयस्क निवासी विश्नोईयों के पंचायती नोहरे के पास, पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गिरीराज पिता विष्णुदत्त जी ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी हॉस्पीटल रोड़ पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. नगर विकास न्यास भीलवाड़ा जरिये सचिव महोदय, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी भैरूलाल जी बापना

अधिवक्ता पृथ्वीराज चौधरी अप्रार्थी संख्या 01 व 02

अप्रार्थी संख्या [illegible] 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर–प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 2207 की अभिलिखित आराजियात ,8295, 8296, कुल किता 02 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Ahad

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी संख्या 03 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा कार्यवाहीं किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। विपक्षी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के न्यायालय में वादपत्र जैरकार होकर स्थगन आदेश जारी। लेकिन विपक्षी ने अपने जवाब के साथ स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति पेश नहीं की है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में विधिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है जो कमशः आर आर टी 2021 (2) 1256–1257 पेश किया है। उक्त विधिक दृष्टांत प्रार्थीगण के प्रकरण पर चस्पा होते है। प्रकरण में पत्थरगढ़ी कार्य सम्पादन करने से वादग्रस्त आराजी के संबंध में कब्जे का हस्तांनतरण नहीं होता है एसी स्थिती में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश करने पर विधिक कठिनाई नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर–प्रथम भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 2207 की अभिलिखित आराजियात ,8295, 8296, कुल किता 02 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ahad

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाडा